भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1389
दिनांक 28 जुलाई, 2023 को उत्तर देने के लिए

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी

1389. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के अभाव के कारण देश में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के अंतर्गत मामलों की जांच में विलंब होता है;

(ख) क्या फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), मधुबन को यह सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है कि पॉक्सो के अंतर्गत मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्यों के परीक्षण के लिए डीएनए पीसीआर किट तत्काल खरीदे जाएं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के पास देश में डीएनए पीसीआर जांच किटों का पर्याप्त भंडार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क): गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सूचित किया है कि अपराधों के खिलाफ मामले दर्ज करना और उसकी जांच करना एक सतत प्रक्रिया है। सभी 7 केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं 32 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में फोरेंसिक जांच की जाती है जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने देश में फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना।

(ii) डिजिटल धोखाधड़ी / साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए, केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं स्थापित की गयी है।

(iii) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर-फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सहायता प्रदान करना। लगभग 250 करोड़ रूपए की कुल लागत से 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओ को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(iv) फोरेंसिक विज्ञान क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना अनुमोदित की गयी है। इसके तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण, देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता दी जाएगी।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोकव्यवस्था' राज्य के विषय हैं। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), मधुबन हरियाणा सरकार के नियंत्रण में आती है।

(घ) और (ङ): डीएनए पीसीआर जांच किटों की संख्या की उपलब्धता प्राप्त मामलों और उनके उपयोग पर निर्भर करती है। किटों की शेल्फलाइफ होती है और इन्हें अधिक संख्या में स्टॉक में नहीं रखा जा सकता। हालाँकि, खरीद में आसानी के लिए डीएनए किट जेम (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।

*****